छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21/06/2024

क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2024/ 155 :– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना **"मिनीमाता महतारी जतन योजना"** के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/113 दिनांक 25.11.2021 में कण्डिका (क) योजना के प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (8) को सम्मिलित तथा अधिसूचना क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/130 दिनांक 09.12.2022 के कण्डिका (ख) योजना की पात्रता बिन्दु (1) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :–

मिनीमाता महतारी जतन योजना :–

कण्डिका (क) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (8) को सम्मिलित किया जाता है :–

(क)(8) पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को देय सहायता राशि प्रसूति के दौरान मजदूरी क्षतिपूर्ति राशि कहलायेगी।

कण्डिका (ख) योजना की पात्रता में बिन्दु क्रमांक (1) में आंशिक संशोधन किया जाता है :–

(ख)(1) निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य होगा के **स्थान पर –**

"योजना में निर्माण श्रमिक के रूप में न्यूनतम 01 वर्ष पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य होगा। (अर्थात् बच्चे के जन्म दिवस के 1 वर्ष पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है।)"

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)
उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

21/6/2024

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां0 क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2024/1914-1930 अटल नगर, दिनांक 21/06/2024

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, खण्ड–03, व्दितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. समस्त, जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में **निःशुल्क** प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि, कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
17. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित

21/6/2024

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना के लाभ लेने हेतु

—: स्व घोषणा प्रारूप :—

मैं ....पिता / पति श्री ....आधार क.....................................जन्म तिथि.................................लिंग............................. ग्राम / वार्ड......................... के पोस्ट.............................विकासखंड..........................विधानसभा क्षेत्र............................नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत..जिला.................................. का निवासी हूँ।

मैं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हूँ। मेरा पंजीयन कमांक ....दिनांक ....है।

मैं मेसर्स / श्री / श्रीमती..के संस्था में श्रमिक के रूप में कार्य कर रही / रहा हूँ।

मेरे जीवित बच्चों की कमांक अंकित कर जानकारी निम्नानुसार है:—

कमांक	जीवित बच्चे की संख्या	बच्चे का नाम	आयु / जन्मतिथि	महिला / पुरूष
1				
2				

1. जिस बच्चे हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसका नाम .... जन्म दिनांक ....लिंग.......................जीवित बच्चों में कम .... का है।
2. मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हूँ। (हाँ / नही)...।
3. छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अधिसूचित वर्ग(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग)....................................से हूँ।
4. मेरा खाता क.......................................बैंक का नाम... आई.एफ.एस.सी. कोड...है।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि, मुख्यमंत्री मिनीमाता महतारी जतन सहायता योजना के तहत् निर्धारित पात्रता रखती हूँ। उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी / समस्त विवरण सत्य है, किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रदाय की गई जानकारी असत्य पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी तथा मंडल द्वारा उक्त योजना के तहत् लाभान्वित राशि की वसूली करते हुए मेरे ऊपर वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांक ....

आवेदक / आवेदिका के
हस्ताक्षर

हितग्राही का नाम — ....
पता — ....
— ....
मोबाईल नं. — ....

रु. 28.06.24

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/12/2022

क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/130 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित **"मिनीमाता महतारी जतन योजना"**में पूर्व में जारी **अधिसूचना क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/113 दिनांक 25.11.2021** के **कण्डिका (ख)** के **उपबिन्दु (1)** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :–

मिनीमाता महतारी योजना :–

(ख) योजना हेतु पात्रता :–

1. निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है, के स्थान पर **"बच्चें के जन्म के 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य होगा"** अंतः **स्थापित किया जाता है।**

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

9/12/2022
(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/5361/5376 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/12/22

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, खण्ड–03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।

निरंतर.................................2

5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. समस्त, जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में **निःशुल्क** प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

9/12/2022

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12/05/2022

क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/117 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित **"भगिनी प्रसूति सहायता योजना"** में पूर्व में जारी **अधिसूचना क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/113 दिनांक 25.11.2021** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :–

भगिनी प्रसूति सहायता योजना :–

(क) योजना का प्रावधान :–

1. **योजना का नाम "भगिनी प्रसूति सहायता योजना" होगा के स्थान पर**

योजना का नाम "मिनीमाता महतारी जतन योजना" होगा।

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/1769-85 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/05/2022
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुकत छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।

निरंतर..................2

5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू भाांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
10. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
17. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ०ग०)
ईमेल– secretary-bocw@cg.gov.in, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 02/02/2022

क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/ 116 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित **"भगिनी प्रसूति सहायता योजना"** में पूर्व में जारी **अधिसूचना क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/113 दिनांक 25.11.2021** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :–

भगिनी प्रसूति सहायता योजना :–

(क) योजना का प्रावधान :–

3. योजना के तहत् राशि रू 10,000/– एक मुश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् प्रदाय किया जावेगा, को अतिक्रमित करते हुए

   "पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि रू 20,000/– (अक्षरी बीस हजार रूपये) एक मुश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् प्रदाय किया जावेगा"

उपरोक्त योजना में संशोधन देय राशि अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ०ग० शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ०क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/414–429 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02/02/22
प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ०ग० शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ०ग० शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।

निरंतर...............2

3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
9. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
11. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
17. गार्ड फाईल।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretary-bocw@cg.gov.in, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25-11-2021

कमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/113 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित **"भगिनी प्रसूति सहायता योजना"** में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :–

(क) योजना का प्रावधान :–

1. योजना का नाम "भगिनी प्रसूति सहायता योजना" होगा।
2. यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरूष हिताधिकारी पंजीबद्ध हो एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार योजना आवेदन दिनांक से 90 दिवस पूर्व हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी हो।
3. योजना के तहत् राशि रू 10,000/– एक मुश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् प्रदाय किया जावेगा।
4. प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु ही दिया जावेगा।
5. प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर प्रसूति सहायता योजना का भुगतान उसके पति (पूर्ण राशि) को देय होगा।
6. योजना का लाभ केवल मंडल अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को ही दिया जावेगा।
7. योजना के प्रावधान अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ख) योजना हेतु पात्रता :–

1. निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है।
2. किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा।
3. ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मंडल की वैध सदस्यता नहीं रखते है, उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

निरंतर.........2

(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

1. योजना के तहत् आवेदन केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेंगे।
2. आवेदक किसी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3. योजना के तहत् आवेदन बच्चे के जन्म के 90 दिवस के भीतर ही किया गया आवेदन स्वीकार्य होगा।
4. ऑनलाईन आवेदन करते समय श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाईल नंबर, ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/अन्य शासकीय संस्थानों/चिकित्सालयों द्वारा जारी शिशु के जन्म प्रमाण पत्र सहित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल स्कैन कॉपी ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
5. हितग्राही द्वारा स्व–घोषणा प्रमाण पत्र जिसमें जीवित बच्चों के नाम, उसकी आयु, लिंग तथा जिस बच्चे हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा रहा है उसका क्रमांक अंकित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. योजना आवेदन का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जांच/सत्यापन हेतु सभी मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

(घ) स्वीकृति का अधिकार :–

1. पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

(ङ.) भुगतान की प्रक्रिया :–

1. प्रसूति सहायता योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजनांतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदिका के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जावेगा।

(च) विसंगति का निराकरण :–

1. इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ.ग. शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

निरंतर...............3

पृ0क्रमांक / 61 / 04 / योजना / बीओसी / 2021 / 5146-5160 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25-11-2021
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31 / 520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
9. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
पी0 3, सी0 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 27, नया रायपुर
फोन नं0–0771–2971063

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 01/6/18

क्रमांक 146/2018/ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तृतीय कार्यकाल की अष्टम बैठक दिनांक 25–04–2018 में लिए गए निर्णय अनुसार मंडल द्वारा संचालित योजना **"भगिनी प्रसूति सहायता योजना"** में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है–

भगिनी प्रसूति सहायता योजना :–

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) निर्माण श्रमिक के रूप में एक वर्ष पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है, को अतिक्रमित करते हुए

"निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है।"

आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील।

(पदुम सिंह एल्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल नया रायपुर

पृ0क्रमांक/2017/4524–4530
रायपुर, दिनांक 01/06/2018

प्रतिलिपि :–

(1) अध्यक्ष, बीओसी, नया रायपुर, छ0ग0 को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) विशेष सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) कलेक्टर, जिला– .... (छ0ग0) को सूचनार्थ प्रेषित्।
(4) सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय .... आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
(5) लेखा शाखा, बीओसी, मुख्यालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
(6) एनआईसी, बीओसी, मुख्यालय, नया रायपुर की ओ भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त आदेश को मंडल के वेबसाईट में अपलोड करें।
(7) आदेश पत्रिका, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 13.03.2018

क्रमांक 61 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित योजना भगिनी प्रसूति सहायता योजना में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 52 दिनांक 18–5–17 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती हैं :–

भगिनी प्रसूति सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(iii) महिला श्रमिक को तीन किश्तों में क्रमशः गर्भधारण के प्रथम तिमाही में राशि रूपये 3,000/–, द्वितीय तिमाही में राशि रूपये 3,000/– एवं बच्चे के जन्म पश्चात् राशि रूपये 4,000/– प्रदाय किया जावेगा, को अतिक्रमित करते हुए

"पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता राशि रूपये 10,000 दो किश्तों में क्रमशः महिला श्रमिक के गर्भधारण के तीन माह पश्चात् राशि रूपये 5,000/– एवं द्वितीय किश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् जन्म से तीन माह के भीतर राशि रूपये 5,000 प्रदाय किया जावेगा।"

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

13/3/2018

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 13.03.18

पृ0क्र0 / /
प्रतिलिपि :– 3646-3653

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)

3. श्रमायुक्त सह विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....(छ0ग0)
5. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
6. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मक[illegible]ण मंडल

पी–3, सी, 244–245 सेक्टर 27 हाउसिंग बोर्ड कॉलो[illegible]ुर

अधिसूचना

दिनांक 18/05/17

क्रमांक 52 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना **"भगिनी प्रसूति सहायता योजना"** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :–

भगिनी प्रसूति सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(iii) योजना के तहत् रूपये 10,000 एक मुश्त को अतिक्रमित करते हुए **"महिला श्रमिक को तीन किश्तों में क्रमशः गर्भधारण के प्रथम तिमाही में राशि रूपये 3,000/–, द्वितीय तिमाही में राशि रूपये 3,000/– एवं बच्चे के जन्म पश्चात् राशि रूपये 4,000/– प्रदाय किया जावेगा" अन्तः स्थापित किया जाता है।**

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशी होगी।
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

पृ0क्र0 / /808 – 816
नया रायपुर, दिनांक 18/05/17

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)

3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
6. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
7. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी–3, सी, 244–245 सेक्टर 27 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नया रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक.....47.............. दिनांक 31/01/2017

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना " **भगिनी प्रसूति सहायता योजना**" में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :–

भगिनी प्रसूति सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "भगिनी प्रसूति सहायता योजना होगा।

(ii) यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरूष हिताधिकारी पंजीबद्ध हो एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार योजना आवेदन दिनांक से एक वर्ष पूर्व हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी हो ।

(iii) योजना के तहत रूपये 10,000 एक मुश्त भुगतान किया जावेगा ।

(iv) प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रथम दो बच्चों को ही दिया जावेगा ।

(v) प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर प्रसूति सहायता योजना का भुगतान उसके पति (पूर्ण राशि) को देय होगा।

(vi) योजना का लाभ केवल पंजीकृत महिला श्रमिक को ही दिया जावेगा ।

(vii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा ।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) निर्माण श्रमिक के रूप में एक वर्ष पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है ।

(ii) किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ नही दिया जावेगा।

(iii) ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की वैध सदस्यता नहीं रखते है उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

(i) योजना का आवेदन बच्चे के जन्म पश्चात् 90 दिन तक आवेदन स्वीकृत किया जावेगा ।

(ii) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) शिशु का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(iv) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न कर अनिवार्य होगा ।

(v) योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 30 कार्यदिवस में करना अनिवार्य होगा ।

(vi) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय,, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(vii) आधार कार्ड नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा ।

(viii) हितग्राही द्वारा स्व घोषणा पत्र जिसमें जीवित बच्चों के नाम, उसकी आयु, लिंग तथा जिस बच्च हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका कमांक अंकित हो संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी /श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी ।

(ई) भुगतान की प्रकिया :–

(i) प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को उपरोक्तानुसार राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदिका

के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जावेगा ।

(फ) **अन्य विवरण :—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी ।
(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

31/1/2017

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क्र0 / /2145—2155 रायपुर, दिनांक 31/01/17

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, नया मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
9. एन आई सी शाखा , छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर मण्डल की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
10. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
11. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

31/1/2017

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल